

छत्तीसगढ़ विधान सभा

षष्ठम विधान सभा - दशम् सत्र

(दिनांक 13 जुलाई, 2026 से 17 जुलाई 2026 तक)

सत्रावधि में संपादित कार्यों की सांख्यिकीय जानकारी

सत्र की अवधि	05 दिन
बैठकों की संख्या	05
निधन का उल्लेख	00 घंटा, 33 मिनट
प्रश्नकाल	04 घंटा, 13 मिनट
नियम 52 के अधीन चर्चा	00 घंटा, 19 मिनट
ध्यानाकर्षण सूचना	02 घंटे, 25 मिनट
शासकीय विधि विषयक कार्य	02 घंटे, 43 मिनट
शासकीय संकल्प	00 घंटा, 24 मिनट
प्रस्ताव	05 घंटे, 40 मिनट
अशासकीय संकल्प	01 घंटा, 38 मिनट
अविश्वास प्रस्ताव	14 घंटे, 27 मिनट
समापन भाषण	00 घंटा, 02 मिनट
सभा का स्थगित समय	00 घंटा, 27 मिनट

प्रश्न

सूचनाएं प्राप्त	1033
तारांकित प्रश्न	537
अतारांकित प्रश्न	496
ग्राह्य तारांकित	490
ग्राह्य अतारांकित	451
कुल ग्राह्य तारांकित एवं अतारांकित	941
सदन में उत्तरित	29
नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा	01

शासकीय विधेयक

सूचनाएं प्राप्त	07
सदन में पारित	07

स्थगन प्रस्ताव

कुल प्राप्त सूचनाएं	105
अग्राह्य	35
वक्तव्य पश्चात् अग्राह्य	70

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

कुल प्राप्त सूचनाएं	340
ग्राह्य	84
अग्राह्य	146
शून्यकाल में परिवर्तित	110

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

कुल सूचनाएं	130
ग्राह्य	20
ध्यानाकर्षण से परिवर्तित	110

अशासकीय संकल्प

प्राप्त सूचनाएं	08
ग्राह्य	04
अग्राह्य	04

याचिकाएं

प्राप्त सूचनाएं	182
ग्राह्य	41
अग्राह्य	78
विचाराधीन	63

पटल पर रखी गयी अधिसूचना

प्राप्त अधिसूचना	05
पटल पर रखे गये	05

राज्य के विभिन्न निगम/मंडल/आयोगों के प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना

प्राप्त प्रतिवेदन	10
पटल पर रखे गये	10

विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना

1. कार्य मंत्रणा समिति	01
2. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	09
3. याचिका समिति	02
4. पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति	03
5. शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति	03

राज्य के बजट से संबंधित जानकारियों का पटल पर रखा जाना

(1) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या 02 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)।

(2) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-03 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)।

(3) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-04 (राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

(4) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का जिला खनिज संस्थान न्यास सहित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-05 (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)।

(5) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या-07 (स्थानीय निकाय)

प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ राज्य ने "विगत् दशकों में नक्सलवाद की गंभीर चुनौती का सामना किया, जिसमें अनेक निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा बलों के जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। केन्द्र सरकार के सक्रिय सहयोग से हमारी सरकार ने इस चुनौती पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर नक्सलवाद की समस्या का अंत किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और माननीय केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में केन्द्र ने सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सशस्त्र बल, रणनीतिक सहयोग और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को अभूतपूर्व समर्थन दिया। राज्य की दृढ़ इच्छा शक्ति और केन्द्र की सुरक्षा एवं विकास नीति के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ आज नक्सलवाद से मुक्त हुआ है। अतः यह सदन केन्द्र सरकार के ऐतिहासिक सहयोग के लिए हार्दिक् आभार व्यक्त करता है।"

पुस्तकालय,संदर्भ एवं अनुसंधान सेवा	दिनांक 13 जुलाई से 17 जुलाई, 2026 तक सत्र के दौरान पांच माननीय सदस्यों एवं दो पत्रकारों द्वारा पुस्तकालय साहित्य का अध्ययन किया।
छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाईट	छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाईट में दिनांक 13 जुलाई से 17 जुलाई, 2026 तक अधिसूचना, सामान्य सूची, दिनदर्शिका, प्रश्नों से संबंधित विभागों एवं माननीय सदस्यों को वितरित किये जाने वाले पत्रक भाग-2, संक्षिप्त कार्य विवरण पत्रक भाग-1, प्रश्नोंत्तरी एवं प्रतिदिन जारी की जाने वाली प्रेस विज्ञप्ति अपलोड की गयी। ई-विधान पोर्टल पर वर्तमान सत्र में भी सभा में प्रस्तुत होने वाले साहित्य को प्रतिदिन उपलब्ध कराया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा हेतु तैयार किए गए मोबाईल एप में भी संबंधित जानकारी उपलब्ध करायी गयी ।
छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रवेश	प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा अध्यक्षीय दीर्घा के 900, प्रतिष्ठित दीर्घा के 2900 एवं दर्शक दीर्घा के 300 प्रवेश पत्र जारी किये गये ।
छत्तीसगढ़ विधान सभा का भ्रमण/कार्यवाही का अवलोकन	छत्तीसगढ़ के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के 1124 छात्र-छात्राओं/शिक्षकों छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी से 53 प्रशिक्षु अधिकारी गणों ने कार्यवाही का अवलोकन/परिसर का भ्रमण किया।